

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ ४ (३०७) आकाशि/निःस./२०१८/१२५।

दिनांक - २१८/१८

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुभोदन के आधार पर अकादमी सत्र 2017-18 से निम्नलिखित महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर पूर्व संचालित संकाय/विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	संकाय/विषय
नवरंग महाविद्यालय, मैड, विराटनगर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	जयपुर।	स्नातक स्तर पर- कला संकाय- हिन्दी साहित्य, संस्कृत साहित्य, भूगोल, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी साहित्य।

1. संबोधित विश्वविद्यालय एवं बी०सी०आई०से संबद्धता प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा ।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यूजी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-२ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी ।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई दित्तीय सहायता नहीं देगी ।
4. संस्था को समय-२ पर यूजी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी संशब्दों जैसे निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी ।
6. संस्था को इथाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है ।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा ।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्योंकन करवाना अनिवार्य होगा ।
9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी ।
10. संस्था प्रति वर्ष आयुक्तालय/ नजदीकी राजकीय महाविद्यालय/ विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी ।
11. संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को १५ दिवस में website address की सूचना देगी ।
12. मानव संसाधन विकास भवानीलय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा । इसकी Hard copy आमभी १५ दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें । इस डाटा के आधार पर आनव संसाधन विकास भवानीलय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी ।
13. उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा ।

आयुक्त
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. दिशिष्ट राज्यायक, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी संचिव, अति० मुख्य संचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेज टर, जयपुर ।
4. कुल संचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
5. संचिव, सम्बद्धत महाविद्यालय ।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7. रक्षित पत्रावली